103

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भूरा/2017/1869 विरूद्ध आदेश दिनांक 19-6-2017 पारित द्वारा आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 28/2016-17/अपील

लक्ष्मण सिंह उर्फ लक्ष्मीनारायण सिंह पुत्र स्व0श्री नंदकिशोर कमरिया,
निवासी ग्राम मेहरा सचिन तेंदुलकर मार्ग,
जिला ग्वालियर

-------आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन जर्ये अनुविभागीय अधिकारी,
झांसी रोड ग्वालियर

--------अनावदेक

श्री पी0एन0शर्मा, अभिभाषक--आवेदक
श्री कमल जैन, शासकीय अभिभाषक--अनावदेक

** आ दे श **

(आज दिनांक 20/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-6-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा ग्राम मेहरा के सर्वे क्रमांक 677/1 रकबा 0.015 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 678/3 रकबा 0.233 हेक्टेयर कुल रकबा

0.248 अर्थात् 2480 वर्गमीटर में से 1142.88 पर आवासीय डायवर्सन हेतु आवेदन पत्र संहिता की धारा 172 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 6-6-2016 को आदेश पारित कर डायवर्सन का आवेदन निरस्त किया जाकर उक्त आवेदन पत्र सर्वे क्रमांक 678/3 पर किया जा रहा व्यावसायिक कार्य छिपाने की मंशा हेतु दिया गया है । अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 172(4) में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2015 क्रमांक 5 दिनांक 21-8-15 से किये गये संशोधन अधिनियम 2015 क्रमांक 23 दिनांक 31-12-2015 से निरस्त कर दिया गया है जिसके तहत भूमि के बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत से अनाधिक अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर उक्त भूमि को मूल स्वरूप में पुन: परिवर्तित किये जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 6-12-16 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-6-16 स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त निष्कर्ष द्वारा दिनांक 19-6-2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा स्वयं ही संहिता धारा 172 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि का डायवर्सन कराने का निवेदन किया गया था न कि किसी व्यक्ति के द्वारा शिकायत की गई कि आवेदक द्वारा विवादित भूमिपर मैरिज गार्डन संचालित किया जा रहा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में वैधानिक त्रुटि की गई थी तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखने में वैधानिक त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक पर रूपये 1,35,14,000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है जबकि प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 4-5-2016 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रूपये 7,00,543/- मय अर्थदण्ड के अधिरोपित किये जाने का प्रतिवेदन में उल्लेखित किया था तथा भूमि बाजारू मूल्य रोड पर 5 करोड रूपये प्रति हेक्टेयर उल्लेखित किया गया था।

अनुविभागीय अधिकारी ने राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के विपरीत जाकर विवादित आदेश पारित करने में वैधानिक त्रुटि की है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा 0.233 हैक्टेयर अर्थात् 2330 वर्गमीटर भूमि पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया है जबकि आवेदक द्वारा 1142.88 वर्गमीटर का डायवर्सन कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था । अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा 2330 वर्गमीटर भूमि पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने में वैधानिक त्रुटि की है, जबकि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि सर्वे क्रमांक 678/2 रकबा 0.233 हेक्टेयर भूमि में से 200 वर्गफीट भूमि पर ऑफिस बना है तथा 5625 वर्गफुट भूमि पर टीनशेड अस्थाई निर्माण है, 975 वर्गफीट भूमि पर गोदाम बना हुआ है । कुल रकबा 6800 वर्गफुट यानि 631.97 वर्गमीटर भूमि पर निर्माण है, शेष भूमि में घास लगी है। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार 631.97 वर्गमीटर पर निर्माण है, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा 2330 वर्गमीटर पर निर्माण मानकर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ तीनों न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध करते हुये आवेदक का आवेदन पत्र संहिता की धारा 172 के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन अनुसार स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी, अपर कलेक्टर एवं आयुक्त द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप का आधार इस निगरानी में नहीं होने से निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक ने अपने तर्कों में राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट/उसके आवेदन तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में परिवर्तित भूमि के रकबे में विसंगतियों को लेकर बिन्दु उठाए हैं, जिन पर अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई विचार नहीं किया है । किस वर्ष की गाईड लाईन लगनी है, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है । आयुक्त ने अपने आदेश में केवल अनुमति नहीं दी जा सकती, इसका विश्लेषण किया है । आवेदक पर अधिरोपित शास्ति की उपयुक्तता पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है, जबकि आयुक्त को आवेदक की ओर से उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में विवेचना करते हुए सकारण आदेश पारित करना चाहिए

था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं करने में त्रुटि की गई है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह आवेदक की ओर से उठाये गये सभी बिन्दुओं पर विधिवत विचार कर स्पष्ट सकारण पुन: आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-6-2017 एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 6-6-2016 तथा अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 6-12-2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर